चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Email.:- registrar@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ website:-www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक : सम्बद्धता/4371/2025–26 दिनांक : 11.2.2026

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
(संघटक/राजकीय/अनुदानित/स्ववित्त पोषित)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्याः 83/20103/2010 FEDERATION OF LEPY ORGAN (FOLD) & ANR VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PILW) (A NRMOSINTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के कार्यालय पत्रांकः 2956/2025–26, दिनांक 09.02.2026 एवं संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–03, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांकः 99/सत्तर–3–2026, दिनांक 29.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्याः 83/20103/2010 FEDERATION OF LEPY ORGAN (FOLD) & ANR VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PILW) (A NRMOSINTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांकः 61/सात–न्याय/2026–1927604, दिनांक 16.01.2026 के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 698/पी0एस0एम0एस0/2025, दिनांक 04.12.2025 तथा श्री आदर्श उपाध्याय, एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 30.11.2025 में उल्लिखित " Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of UP " की छायाप्रति संलग्न करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 04.12.2025 में की गयी अपेक्षानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप महाविद्यालय स्तर पर कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति की पहचान कर उसका विवरण तत्काल विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
10.2.26
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
03. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वद्यिालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

MSC

ई–मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 2956 /2025 – 26 दिनांक – 09/02/2026

विषय मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 83/2010 3/2010 FEDERATION OF LEPY ORGAN (FOLD) & ANR VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PILW) (A NRMOSINTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 99/सत्तर – 3 – 2026 दिनांक 29 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 83/2010 3/2010 FEDERATION OF LEPY ORGAN (FOLD) & ANR VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PILW) (A NRMOSINTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

उक्त शासन के पत्र के साथ संलग्न पत्र संख्या 61/सात – न्याय – 1 – 2026 – 1927604 दिनांक 16 जनवरी, 2026 के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 698/पी0एस0एम0एस0/2025 दिनांक 04.12.2025 एवं श्री आदर्श उपाध्याय, एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2025 में विहित 'Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of UP' की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.12.2025 में की गयी अपेक्षानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 का अनुपालन नियत समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा इसकी सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.01.2026 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना आज ही अधोहस्ताक्षरी की ई – मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे शासन को सूचना आज ही प्रेषित की जा सके।

संलग्नक – यथोक्त। भवदीय,

Digitally signed by SHASHI KAPOOR
Date: 09-02-2026 16:41:03

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

E Comp No. 1964103

<u>मा0 न्यायालय के आदेश से आच्छादित प्रकरण</u>
<u>महत्वपूर्ण/शीघ्र प्राथमिकता</u>
<u>संख्या- 99 /सत्तर-3-2026-</u>

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(20)

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

<u>उच्च शिक्षा अनुभाग-3</u> <u>लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2026</u>

विषय:- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 3/2010 FEDERATION OF LEPY ORGAN (FOLD) & ANR VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिकर (सिविल) संख्या-1151/2017 (PILW) (A NRMOS-INTERVENTION APPLICATION) में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रभारी विधि प्रकोष्ठ

महोदय,

कृपया उपर्युक्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-61/सात-न्याय-1-2026-1927604, दिनांक 16 जनवरी, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 698/पी.एस.एम.एस./2025, दिनांक 04.12.2025 एवं श्री आदर्श उपाध्याय, एडवोकेट ऑन-रिकार्ड, मा० उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2025 में विहित 'Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of UP की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.12.2025 में की गयी अपेक्षानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 का अनुपालन नियत समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा इसकी सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

30.01.2026

30/1/26

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.01.2026 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक 02.02.2026 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

1161

ई – मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ /2025 – 26 दिनांक – 09 /02/2026

विषय मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 83/2010 3/2010 FEDERATION OF LEPY ORGAN (FOLD) & ANR VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PILW) (A NRMOSINTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 99/सत्तर – 3 – 2026 दिनांक 29 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 83/2010 3/2010 FEDERATION OF LEPY ORGAN (FOLD) & ANR VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PILW) (A NRMOSINTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

उक्त शासन के पत्र के साथ संलग्न पत्र संख्या 61/सात – न्याय – 1 – 2026 – 1927604 दिनांक 16 जनवरी, 2026 के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 698/पी0एस0एम0एस0/2025 दिनांक 04.12.2025 एवं श्री आदर्श उपाध्याय, एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2025 में विहित 'Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of UP' की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.12.2025 में की गयी अपेक्षानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 का अनुपालन नियत समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा इसकी सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.01.2026 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना आज ही अधोहस्ताक्षरी की ई – मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे शासन को सूचना आज ही प्रेषित की जा सके।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 2956-57 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

Digitally signed by
SHASHI KAPOOR
Date: 09-02-2026
16:41:49

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

E Comp No. 1964103

मा0 न्यायालय के आदेश से आच्छादित प्रकरण
महत्वपूर्ण/शीघ्र प्राथमिकता
संख्या- 99 /सत्तर-3-2026-

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2026

विषयः- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 3/2010 FEDERATION OF LEPY ORGAN (FOLD) & ANR VERSUS UNION OF INDIA & ORS एवं रिट याचिकर (सिविल) संख्या-1151/2017 (PILW) (A NRMOS-INTERVENTION APPLICATION) में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रभारी विधि प्रकोष्ठ

महोदय,

कृपया उपर्युक्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-61/सात-न्याय-1-2026-1927604, दिनांक 16 जनवरी, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 698/पी.एस.एम.एस./2025, दिनांक 04.12.2025 एवं श्री आदर्श उपाध्याय, एडवोकेट ऑन-रिकार्ड, मा० उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2025 में विहित 'Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of UP की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.12.2025 में की गयी अपेक्षानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 का अनुपालन नियत समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा इसकी सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

30.01.2026

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.01.2026 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक 02.02.2026 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

1181

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों से आच्छादित प्रकरण/शीर्ष प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या-61 /सात-न्याय-1-2026-1927604
लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी, 2026

संख्या 5229/VIPPSHED/2025
दिनांक 16/1/26

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 FEDERATION OF LEPY. ORGAN. (FOLO) & ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS. एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या-1151/2017 (PIL-W) (IA No.38224/2020-INTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के सम्वंध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-57/सत्तर-3-2026, दिनांक 13.01.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 07.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु गठित समिति के समक्ष कुष्ठ रोग से प्रभावित या ठीक हुए व्यक्तियों के सम्वंध में भेदभाव पूर्ण अभिव्यक्तियों करने वाले विभाग में प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, उपनियमों, कार्यकारी आदेशों तथा संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक अन्तर्गत निर्मित सेवा नियमों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। इस सम्वंध में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र दिनांक 05.12.2025 द्वारा प्रेपित सूचना संलग्नकर न्याय विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार प्रकरण में उच्च शिक्षा विभाग की सूचना "शून्य" है।

3- इस सम्वंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मामले में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-698/पी.एस.एम.एस./2025, दिनांक 04.12.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा श्री आदर्श उपाध्याय, एडवोकेट ऑन-रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2025 में विहित 'Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of UP.' को संलग्न करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2025 का अनुपालन नियत समयान्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं इसकी सूचना न्याय विभाग को प्रेषित करने की अपेक्षा अन्य विभागों सहित उच्च शिक्षा विभाग से भी की गयी है। उक्त पत्र दिनांक 04.12.2025 में अन्य विभागों सहित उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित एन0एच0आर0सी0 रिपोर्ट/ऐडवाइजरी का विन्दु '4.Elimination of Discrimination and Social Integration' है। अत: प्रकरण में एन0एच0आर0सी0 रिपोर्ट/ऐडवाइजरी के उक्त विन्दु के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विन्दु के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर इसकी सूचना न्याय विभाग को प्रेषित की जानी है।

4- प्रकरण में उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के संदर्भित पत्र दिनांक 13.01.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में कदाचित मुख्य सचिव महोदय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.12.2025 में उल्लिखित एन0एच0आर0सी0 रिपोर्ट/ऐडवाइजरी के उक्त विन्दु का संज्ञान नहीं लिया गया है।

5- अत: मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.12.2025 की प्रति सहित श्री आदर्श उपाध्याय, एडवोकेट ऑन-रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 30.11.2025 में विहित 'Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of UP.' को संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2025 का अनुपालन नियत समयान्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं इसकी सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

सचिव

(आशुतोष चौधरी)
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

2546/S(AI)/26

संख्या-61 /सात-न्याय-1-2026, तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(मनमीत सिंह सूरी)
विशेष सचिव।

मनोज वत्स
निजी सचिव
सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

6849/US(T)/2026
JS/SO-3

22.01.2026

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन

पत्रांक 94 /प्र०स०/स०ग्रा०वि०

संख्या: 690 /पी.एस.एम.एस./2025

दिनांक: 04 दिसम्बर, 2025

कृपया मा० उच्चतम न्यायालय में योजित Writ Petition (Civil) No. 83/2010 Federation of Lepy. Organ. Vs. Union of India & Ors. एवं Writ Petition (Civil) No. 1151/2017 (PIL-W) (IA No. 38224/2020-Intervention Application) Vidhi Centre For Legal Policy Vs. Union of India & Ors. में पारित मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2025 के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, न्याय विभाग द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 03 दिसम्वर, 2025 (मूल रूप में संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. उक्त पत्र द्वारा श्री आदर्श उपाध्याय, ऐडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, मा० उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 30 नवम्वर, 2025 में विहित 'Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of UP' को संलग्न करते हुए मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में सम्वन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त रिपोर्ट/ ऐडवाइज़री का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:

क्रम संख्या	एन०एच०आर०सी० रिपोर्ट/ ऐडवाइजरी के सम्बन्धित बिन्दु	सम्बन्धित विभाग
1	1. Early Detection 2. Treatment and Management of Leprosy and Associated Complications	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग
2	3. Rehabilitation	समाज कल्याण विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/ खाद्य एवं रसद विभाग/ नगर विकास विभाग/ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
3	4. Elimination of Discrimination and Social Integration	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ नगर विकास विभाग/ कार्मिक विभाग/ वेसिक शिक्षा विभाग/ माध्यमिक शिक्षा विभाग/ उच्च शिक्षा विभाग

4	• Section 21(1) of Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act, 1975 • Bye-law 32(b) of Bye-Laws of Pradeshik Co-Operative Dairy Federation Limited, 1979 • Section 453(1)(c) of Uttar Pradesh Co-operative Societies (Forty-fifth Amendment) rules, 2006 • Section 16(2), Section 22 and 23 of Allahabad High Court rules, 1952 • Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 • Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959	समाज कल्याण विभाग/ सहकारिता विभाग/ नगर विकास विभाग/ न्याय विभाग

आपसे अनुरोध है कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2025 का अनुपालन नियत समयान्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें तथा इसकी सूचना न्याय विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

03.12.2025

(एस०पी० गोयल)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ चिकित्सा शिक्षा/ समाज कल्याण विभाग/ग्राम्य विकास/ व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास/ खाद्य एवं रसद/ नगर विकास/ आवास एवं शहरी नियोजन/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण/ कार्मिक/ बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ न्याय विभाग

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से आच्छादित प्रकरण/शीर्ष प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या-2143/सात-न्याय-1-2025-1927604
लखनऊ : दिनांक 03 दिसम्बर, 2025

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 FEDERATION OF LEPY. ORGAN. (FOLO) & ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS. WITH W.P. (C) No.1151/2017 (PIL-W) (IA No.38224/2020-INTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 के अनुपालन में न्याय विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 जून, 2025 द्वारा प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उक्त समिति को राज्य में प्रचलित ऐसी विधियों की पहचान करनी थी, जिससे कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों तथा कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के संबंध में भेदभावपूर्ण अभिव्यक्तियां हों। समिति को ऐसे पहचान किये गये विधिक प्राविधानों में उपयुक्त संशोधन हेतु अनुशंसा करने के लिए भी निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में, प्रमुख सचिव, विधायी, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 17.07.2025 द्वारा विस्तृत आख्या (report) प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा U.P. Municipalities Act 1916, U.P. Municipal Corporation Act,1959 एवं U.P. Prohibition of Beggary Act, 1975 में संशोधनों के सम्बंध में सुझाव (Recommendations) दिये गये।

समिति की उक्त आख्या (report) की प्रति न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) के पत्र दिनांक 18.07.2025 द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित करते हुए समिति द्वारा दिये गये सुझावों के सम्बंध में अविलम्ब यथोचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र संख्या-292/पी.एस.एम.एस./2025, दिनांक 25 जुलाई, 2025 द्वारा समिति की उक्त आख्या/प्रतिवेदन समाज कल्याण विभाग एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करते हुए [illegible] कर कृत कार्यवाही की आख्या से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 के आदेश के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश राज्य को एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जिसमें कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, उपचार, पुनर्वास एवं भेदभाव उन्मूलन संबंधी परामर्श के कार्यान्वयन हेतु राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण सम्मिलित है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन में एडवोकेट ऑन रिकार्ड से यथापेक्षित अग्रतर कार्यवाही करने का अनुरोध न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) के पत्र दिनांक 21.11.2025 द्वारा किया गया। तत्क्रम में ए0ओ0आर0 के पत्र दिनांक 30.11.2025 द्वारा Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of U.P. प्रेषित की गयी है।

3- अत: प्रश्नगत रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या-1151/2017 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025, NHRC की रिपोर्ट तथा श्री आदर्श उपाध्याय, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 20.11.2025 व दिनांक 30.11.2025 की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करें। सूच्य है कि मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय में दिनांक 17.12.2025 को सुनवाई निर्धारित है।

संलग्नक : यथोक्त।

2.12.25

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

ITEM NO.

COURT NO.2

SECTION

SUPREME COURT OF INDIA
RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition(s)(Civil) No(s).83/2010

FEDERATON OF LEPY.ORGAN.(FOLO) & ANR. Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. Respondent(s)

WITH
W.P.(C) No. 1151/2017 (PIL-W)

IA No. 38224/2020 - INTERVENTION APPLICATION

Date : 12-11-2025 These petitions were called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SURYA KANT
HON'BLE MR. JUSTICE JOYMALYA BAGCHI

For Petitioner(s) :Ms. Mayuri Raghuvanshi, AOR
Mr. Vyom Raghuvanshi, Adv.
Ms. Akanksha Rathore, Adv.
Ms. Yashi Jain, Adv.

Ms. Rashmi Nandakumar, AOR
Ms. Yashmita Pandey, Adv.

For Respondent(s) :Mrs. Anil Katiyar, AOR

Mrs. Aishwarya Bhati, A.S.G.
Ms. V Mohana, Sr. Adv.
Ms. Chitrangda Rashtravara, Adv.
Mr. Bhuvan Kapoor, Adv.
Mr. Raghav Sharma, Adv.

Ms. Saudamini Sharma, Adv.
Dr. N. Visakamurthy, AOR

Mr. Brijender Chahar, A.S.G.
Ms. Agrima Singh, Adv.
Mr. Bhuvan Kapoor, Adv.
Ms. Sunita Sharma, Adv.
Mr. Sudarshan Lamba, AOR
Mr. M.K. Maroria, AOR

Mr. Shuvodeep Roy, AOR
Mr. Deepayan Dutta, Adv.
Mr. Saurabh Tripathi, Adv.

ACS, Social Welfare
Prin. Secy., Urban Dev.
Prin. Secy., Law/CC

14.11.2025
(अमृता सोनी)
स्टाफ आफिसर
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन

7549/2R/camp

SO-1

(मनमीत सिंह सूरी)
विशेष सचिव
न्याय एवं अपर विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन।

18/11/2025

विशेष सचिव
न्याय एवं अपर विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन।

Signature Not Verified
Digitally signed by
ARJUN BISHT
Date: 2025.11.13
17:07:16 IST
Reason:

Mr. Bhakti Vardhan Singh, AOR

Ms. Ankita Chaudhary, AOR
Mr. Chand Kapoor, Adv.

Ms. Deepanwita Priyanka, AOR
Mr. Shishir Kumar Jha, Adv.
Ms. Priyal Sheth, Adv.

Mr. Prateek Chadha, A.A.G.
Mr. Sanchit Garga, AOR
Mr. Kunal Rana, Adv.
Mr. Shashwat Jaiswal, Adv.

Mr. Nishe Rajen Shonker, AOR
Mrs. Anu K Joy, Adv.
Mr. Alim Anvar, Adv.
Mr. Santhosh K, Adv.
Mrs. Devika A.l., Adv.

Ms. Baani Khanna, AOR

Mr. Siddhant Sharma, AOR
Mr. Vikram Choudhary, Adv.

Mr. Adarsh Upadhyay, AOR
Ms. Pallavi Kumari, Adv.
Mr. Shashank Pachauri, Adv.

Ms. Shraddha Chirania, Adv.
Mr. Kunal Mimani, AOR

Mr. Bhuvan Kapoor, Adv.
Mr. Varun Chugh, Adv.
Mr. Krishna Kant Dubey, Adv.
Mr. Santosh Ramdurg, Adv.
Mr. Shreekant Neelappa Terdal, AOR

M/s. K J John And Co, AOR
Mr. Jaijit Singh Chhabra, AOR

Ms. Asmita Singh, AOR
Ms. Ankita Makan, Adv.

Mr. Sanjai Kumar Pathak, AOR
Mrs. Shashi Pathak, Adv.
Mr. Arvind Kumar Tripathi, Adv.
Ms. Shweta Jayshankar Dwivedi, Adv.
Ms. Smriti Singh, Adv.

Mr. Santosh Krishnan, AOR

Ms. Ankita Sharma, AOR
Mr. Arjun D Singh, Adv.
Ms. Ishika Neogi, Adv.

Mr. Sunny Choudhary, AOR

Mr. Shrirang B. Varma, Adv.
Mr. Siddharth Dharmadhikari, Adv.
Mr. Aaditya Aniruddha Pande, AOR

Mr. Shibashish Misra, AOR

Mr. Rohit K. Singh, AOR
Mr. Pritam Bishwas, Adv.
Mr. Yashveer Singh, Adv.
Mr. Shivansh Pundir, Adv.
Mr. Kartikey Bansal, Adv.

Mr. Sameer Abhyankar, AOR
Mr. Rahul Kumar, Adv.
Mr. Aakash Thakur, Adv.

Mr. T. Harish Kumar, AOR

Mr. Varinder Kumar Sharma, AOR

Mr. G M Kawoosa, Adv.
Mr. Pashupathi Nath Razdan, AOR
Ms. Maitreyee Jagat Joshi, Adv.
Mr. Astik Gupta, Adv.
Ms. Akanksha Tomar, Adv.
Mr. Rahul, Adv.

Ms. Sansriti Pathak, A.A.G.
Mr. S.. Udaya Kumar Sagar, AOR

Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR

Ms. Deepanwita Priyanka, AOR
Mr. Shishir Kumar Jha, Adv.
Ms. Priyal Sheth, Adv.

Ms. Ankita Sharma, AOR
Mr. Arjun D Singh, Adv.
Ms. Ishika Neogi, Adv.

Mr. Guntur Pramod Kumar, AOR
Ms. Prerna Singh, Adv.
Mr. Dhruv Yadav, Adv.
Mr. Gautam Bhatia, Adv.

Mr. Bhuvan Kapoor, Adv.
Mr. Varun Chugh, Adv.
Mr. Krishna Kant Dubey, Adv.
Mr. Santosh Ramdurg, Adv.
Mr. Shreekant Neelappa Terdal, AOR

Mr. Pukhrambam Ramesh Kumar, AOR
Mr. Karun Sharma, Adv.
Ms. Anupama Ngangom, Adv.
Ms. Rajkumari Divyasana, Adv.

Mr. Avijit Mani Tripathi, AOR
Mr. Upendra Mishra, Adv.
Mr. T.K. Nayak, Adv.
Mr. P.S. Negi, Adv.

Mr. Alok Sangwan, Sr. A.A.G.
Mr. Samar Vijay Singh, AOR
Mr. Sumit Kumar Sharma, Adv.
Mr. Rajat Sangwan, Adv.
Mr. Shikhar Narwal, Adv.
Ms. Divya Sharma, Adv.
Mr. Abhishek Kumar Suman, Adv.
Mr. Vaibhav Vikram Singh, Adv.
Mr. Makrand Pratap Singh, Adv.

Mr. Shuvodeep Roy, AOR
Mr. Deepayan Dutta, Adv.
Mr. Saurabh Tripathi, Adv.

Mr. Abhishek Atrey, AOR
Dr. Abhishek Atrey, Adv.
Mr. Ajay Bahuguna, Adv.
Ms. Ambika Atrey, Adv.
Mr. Navneet Gupta, Adv.

Mrs. Anil Katiyar, AOR

Mr. Aravindh S., AOR
Ms. Ekta Muyal, Adv.
Mr. Aman Gautam, Adv.

Mr. Sameer Abhyankar, AOR
Mr. Rahul Kumar, Adv.
Mr. Aakash Thakur, Adv.

Ms. K. Enatoli Sema, AOR
Mr. Amit Kumar Singh, Adv.
Ms. Chubalemla Chang, Adv.
Mr. Prang Newmai, Adv.
Ms. Yanmi Phazang, Adv.

Mr. Anando Mukherjee, AOR

Mr. Adarsh Upadhyay, AOR
Ms. Pallavi Kumari, Adv.
Mr. Shashank Pachauri, Adv.

Mr. V. N. Raghupathy, AOR

Ms. Eliza Barr, Adv.
Ms. Disha Singh, AOR

Ms. Radhika Gautam, AOR

Ms. Shraddha Chirania, Adv.
Mr. Kunal Mimani, AOR

Mr. Manish Kumar, AOR
Mr. Divyansh Mishra, Adv.
Mr. Kumar Saurav, Adv.

Mr. Gopal Sankaranarayanan, Sr. Adv.
Mr. Nagendra Kasana, AOR

Mr. Abhay Anil Anturkar, Adv.
Mr. Dhruv Tank, Adv.
Mr. Aniruddha Awalgaonkar, Adv.
Mr. Sarthak Mehrotra, Adv.
Mr. Bhagwant Deshpande, Adv.
Ms. Surbhi Kapoor, Adv.
Ms. Subhi Pastor, Adv.

Mr. Varinder Kumar Sharma, AOR
Ms. Parul Sharma, Adv.
Ms. Deeksha Gaur, Adv.
Mr. Shantanu Sharma, Adv.
Mr. Y.K. Prasad, Adv.
Mr. S.C. Juneja, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

1. The NHRC has submitted a very comprehensive report pursuant to the order dated 30.07.2025, which contains Advisory on Identification, Treatment, Rehabilitation and Elimination of Discrimination of Persons Affected by Leprosy. There are various other resolutions and relevant materials that have also been appended.

... copy of the report be circulated among ... learned counsel for the parties to enable them to identify the areas which might require judicial intervention, and the nature of the directions that this Court may eventually be required to issue.

3. For this purpose, learned senior counsel/counsel for the parties are directed to exchange their notes and thereafter submit their respective suggestions.

4. All the State counsel are requested to send soft copies of their brief action taken reports to Ms. Rashmi Nandakumar, learned counsel for the petitioner(s) (in W.P.(C) No.1151/2017) in her email address, i.e., rashmi.nandakumar@gmail.com, who has graciously agreed to collate and place the same on record.

5. List the matters for further consideration on 17.12.2025.

(ARJUN BISHT)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(PREETHI T.C.)
ASSISTANT REGISTRAR

संख्या...2172......../ आ०प्रा०-12.3

ADARSH UPADHYAY

Advocate on Record

Supreme Court of India

Standing Counsel for State of U.P.

adarshupa@yahoo.com

Chamber No. 318: D-Block
Additional Building,
Supreme Court of India,
New Delhi -110001
Tel: - 011-20819950

Office :
D-218-Sector-49,
Opp. Prayag Hospital
Noida-U.P-201301
Res.-PH:- 0120-4228573
Mo: +91-9810934699

Date: 30.11.2025

Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of U.P.

IN WRIT PETITION (CIVIL) NO. 1151 OF 2017 VIDHI CENTRE FOR LEGAL POLICY VS. UNION OF INDIA & ORS.

&

IN WRIT PETITION (CIVIL) NO. 83 OF 2010 FEDERATON OF LEPY.ORGAN. (FOLO). vs. UNION OF INDIA

Respected Sir,

This is to inform you that in compliance of order dated 12.11.2025 passed by the Hon'ble Supreme Court, State of U.P has to file a Status report. Containing steps taken by State to implement the Advisory on Identification, Treatment, Rehabilitation and Elimination of Discrimination of Persons Affected by Leprosy submitted by NHRC which is as follows: -

That the advisory is divided into 4 parts-

1. Early Detection.
2. Treatment and management of Leprosy and Associated Complications.
3. Rehabilitation.

प्रति स्मारक
02/12/2025

4. Elimination of Discrimination and Social integration.

1. Early Detection

The government should establish a helpline for prompt reporting and medical support for new leprosy cases and complications. Regular surveys should be conducted to maintain an up-to-date, district-wise database of affected individuals, which should be accessible on government websites. Collaboration with grassroots and civil society organizations is crucial for outreach, awareness, and ensuring that those affected by leprosy receive timely care and support.

2. Treatment and management of Leprosy and Associated Complications.

For State-

- Create guidelines and upgrade district healthcare with trained staff for leprosy care.
- Ensure adequate stock of MDT drugs and related supplies.
- Provide free treatment, surgeries, medicines, dressing material, and MCR footwear.
- Start counselling programs to reduce stigma and support families.
- Apply DOT treatment method for leprosy patients.
- Expand mobile-based teleconsultation services.
- Ensure home delivery of essential services for severely affected patients.
- Provide nutritious diet to all persons affected by leprosy.

3. Rehabilitation.

For State-

- Allow leprosy-affected persons to choose home-based work under schemes like MGNREGA.

- Give priority in issuing BPL, Aadhaar, job cards, and other IDs to help them access welfare schemes.
- Start programs to stop begging by providing monthly financial assistance.

For Union and State-

- Improve healthcare, sanitation, electricity, and civic amenities in leprosy colonies.
- Ensure long-term residents receive property/tenure rights.
- Prevent eviction without rehabilitation and compensation.
- Provide vocational training, employment benefits, insurance, and other support to affected persons and families.
- Extend disaster-risk protection under *RPwD Act* to all leprosy-affected persons.
- Create separate disability assessment parameters that account for sensory loss.
- UIDAI should promote iris scans for Aadhaar due to finger impairments.

4. Elimination of Discrimination and Social integration.

For State-

- Integrate leprosy treatment into general healthcare for non-discriminatory access.
- Ensure medical staff avoid discrimination toward leprosy patients.
- Promote social integration of leprosy colonies and rename them to reduce stigma.
- Treat new leprosy patients at home whenever possible instead of shifting them to colonies.

For Union and State-

- Ensure no discrimination by government authorities and guarantee full access to healthcare.
- Conduct widespread awareness campaigns to inform the public that leprosy is curable and non-contagious after first MDT dose; include this in school curriculum.
- Amend all discriminatory laws related to leprosy in a time-bound manner.
- Maintain confidentiality of medical records of leprosy-affected persons.
- Ensure leprosy-affected persons and families are not denied rights–

  healthcare,

  public services,

  employment,

  marriage,

  education,

  public office, or property.
- Prevent removal from public office or jobs due to leprosy.
- Union Government should consider enacting a law to replace discriminatory provisions.

The above points constitute the advisory issued by the NHRC for States and Union Territories regarding the care and rights of persons affected by leprosy. Based on this advisory, the State of Uttar Pradesh is required to submit a report outlining the steps it has taken to ensure [illegible] treatment, prevent discrimination, and safeguard the rights and welfare of individuals affected by leprosy.

That as per the report following are the Rules, Byelaws prevailing in State of U.P discriminatory to persons effected with leprosy.

- **Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act. 1975**

  Section 21(1): *Detention of any beggar suffering from leprosy in a leper asylum.*

- **Bye-Laws of Pradeshlk Co-Operative Dairy Federation Limited, 1979**

  Bye-law 32(b): *Disqualification for becoming or continuing as a member of the Board of Directors of the Federation, if he is suffering from leprosy.*

- **Uttar Pradesh Co-operative Societies(Forty-fifth Amendment) rules 2006.**

  Section 453(1)(c): *Disqualifications for continuing as a member of the Committee of Management of any co-operative society, if he is suffering from leprosy.*

- **Allahabad High Court rules 1952**

  Section 16(2)

  Disqualification for enrolment as Pleader or Mukhtar, if he is not suffering from leprosy.

  Section 22

  Change of district of enrolment is permission only if the applicant is not suffering from leprosy.

  Section 23

  Enrolment after discontinuing practice is allowed if the applicant is not suffering from leprosy.

That as per the affidavit filed on behalf of State of U.P following findings discriminating to the Leprosy affected people which are still existing in different Regulations, Statutory Rules or Bye-Laws of State of Uttar Pradesh were found which were proposed to remove and amend the discriminatory provisions by the committee:

1. *The Uttar Pradesh Municipalities Act 1916 (U.P. Act No. 2 of 1916)-*
2. *The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959 (U.P. Act No. 2 of 1959)-*
3. *The Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act 1975(U.P. Act No. 36 of 1975)-*

Therefore, it is kindly requested to send necessary instructions at the earliest, so that the Affidavit can be filed on time.

Kindly treat it as **most urgent** as the matter is to be listed on **17.12.2025.**

(ADARSH UPADHYAY)
(signed by digital signature)
Counsel for the State of U.P.